पत्र संख्या-स0द0/ई-वे बिल/2018-19// 638/1819019 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(सचल दल अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 13 जुलाई, 2018

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर/
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)/
ज्वाइण्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0)/ (कार्यपालक)/
असिस्टेन्ट कमिश्नर(सचलदल / वि0अनु0शा0)/
वाणिज्य कर अधिकारी (सचलदल)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पूर्व में जारी परिपत्र संख्या-229/1819009 दिनांक 09-05-2018 एवं परिपत्र संख्या-230/18190010 दिनांक 09-05-2018 द्वारा परिवहन के दौरान माल की जांच हेतु वाहन को रोके जाने एवं ऐसे परिवहित माल एवं वाहन का डिटेन्शन, अवमुक्ति एवं जब्ती किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए गए हैं।

नेशनल ई-वे बिल व्यवस्था दिनांक 01-04-2018 से लागू हुई है। शुरूआती दौर में कुछ ऐसे प्रकरण प्रकाश में आए थे जिसमें ई-वे बिल की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद माल परिवहन होने पर कार्यवाही की गई थी तथा जिसका निराकरण करा दिया गया था। मा0 मुख्यमन्त्री, उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में विभिन्न माध्यमों से ई-वे बिल की आड़ में व्यापारियों का उत्पीड़न किए जाने के तथ्य प्रकाश में लाए गए हैं।

अत: निर्देशित किया जाता है कि माल परिवहन के समय जांच करते समय निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि ई-वे बिल के नाम पर किसी भी माल वाहक / व्यापारी का उत्पीड़न न हो। यदि इस प्रकार की ई-वे बिल के नाम पर जांच में किसी माल वाहक / व्यापारी के उत्पीड़न की शिकायत जांच में सही पाई जाती है तो सम्बन्धित सचलदल इकाई के अधिकारी एवं उनके नियन्त्रक अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

11/7/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।